राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5254/2022

सपना जोशी —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
4. श्री अनिल कुमार तबियार, भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जिला कलक्टर, बांसवाडा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.10.2022
आदेश की दिनांक : 16.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर वृत्त गढी, तहसील गढी, बांसवाड़ा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.09.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी का पटवार मण्डल खेरन का पारड़ा तहसली गढी से भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त गढी तहसील गढ़ी रिक्त पद पर किया गया था। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 29.09.2022 (अनुलग्नक–3) को कार्यभार ग्रहण किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.10.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त गोपीनाथ का गडा तहसील गढी निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के स्थान पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान समंजित (Accommodate) करने के आशय से किया गया है, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डॉ॰ अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित अवधारणा के विपरीत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण सात दिवस की अल्पावधि में किया गया है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के प्रतिकूल है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 06.10.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर

प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरंतर भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर वृत्त गढी, तहसील गढी, बांसवाड़ा में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.09.2022 (अनुलग्नक आर–4/1) के द्वारा अपीलार्थी का भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर वर्ष 2022–23 की रिक्ति के विरूद्ध दिनांक 31.10.2022 को सेवानिवृत्ति से रिक्त पद पर बांसवाड़ा जिला आवंटन किया गया। उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 13.09.2022 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दिनांक 01.11.2022 से प्रभावी होगी। इस तरह से अपीलार्थी भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर बांसवाड़ा में दिनांक 01.11.2022 से पहले पदस्थापन का हक नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 06.10.2022 द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन वर्तमान पदस्थापन स्थान से 10 कि.मी. दूर ही किया गया है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू नियम, 1957 के तहत पटवारी के निवास स्थान के गांव में ही पटवारी का पदस्थापन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार भू–अभिलेख निरीक्षक पटवार मण्डल का इन्चार्ज होता है। अतः उसके मूल निवास स्थान पटवार मण्डल पर पदस्थापन नहीं किया जा सकता। अतः अपील खारिज योग्य है।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या–4 के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 06.10.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। राजस्व मंडल के पदोन्नति आदेश दिनांक 13.09.2022 (अनुलग्नक आर–4/1) के अनुसार अपीलार्थी को बांसवाड़ा जिला दिनांक 31.10.2022 को सेवानिवृत्ति से होने वाले रिक्त पद के विरूद्ध आवंटन किया गया था। अतः जिला कलक्टर बांसवाड़ा द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.09.2022 तथा दिनांक 06.10.2022 अपीलार्थी के संबंध में विधितः त्रुटिपूर्ण है तथा अपीलार्थी के द्वारा अपील में उठाये गए समंजन एवं अल्पावधि के बिन्दु स्वमेव ही आधारहीन हो जाते है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य